Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

Notification No. 100 /2016- Customs (N.T.)

New Delhi, the 14th July, 2016

- G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods)
- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Second
- the character problem (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- These rules shall also apply mutatis mutandis to a service provider and any reference to the expressions manufacture, manufacturer, excise duty and factory in these rules shall be wide an construed as service, service provider, service tax and registered premises respectively of a service provider referred to in chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and the rules
- 3. Joing In the said rules, in rule 5, in sub-rule (2) after the word, "surety", the words, "or security"
- 4. reveln the said rules, in rule 7, for the word, "three", wherever it occurs, the word, "six" shall

T- No. 450/28/2016-Cas 153

[F.No. 450/28/2016-Cus.IV]

(Zubair Riaz)

Director (Customs)

Note:- The principal notification No. 32/2016-Customs (N.T.) dated 1st March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 220(E) dated 1st March, 2016 and last amended by notification No. 39/2016-Customs (N.T.) dated the 15th March, 2016 vide number G.S.R. 306(E) dated the 15th March, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ॥, खण्ड-3, उपखण्ड (॥) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अधिसूचना सं. 100/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 2016

सा.का.नि. अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए माल का शुल्क की रिआयती दर पर आयात) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा :-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** + (1) इन नियमों को सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए माल का शुल्क की रिआयती दर पर आयात) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

[पार्का 450/28/2016-सीम शुहुन १५]

- 2. सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए माल का शुल्क की रिआयती दर पर आयात) नियमावली, 2016 (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 2 में, उपनियम ज्ञापना र(3) में निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-
- ं (4) ये नियम यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी सेवा प्रदाता पर लागू होंगे और ऐसे किसी संदर्भ जैसे कि विनिर्माण, विनिर्माता, उत्पाद शुल्क और कारखाना से अभिप्राय इस नियमावली में आए क्रमश: सेवा, सेवा प्रदाता, तित सेवा कर और पंजीकृत परिसर से होगा जिनका उल्लेख वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V में तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में किया गया है।"
- 3. उक्त नियमावली में, नियम 5 में, उप-नियम (2) में, शब्द, 'जमानती', के पश्चात 'या प्रतिभूति' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- 4. उक्त नियमावली में, नियम ७ में, जहां-जहां भी शब्द, 'तीन', आए हों वहां-वहां शब्द 'छः' प्रतिस्थापति किए जाएंगे।

[फा.सं. 450/28/2016-सीमा शुल्क IV] MAZ 12413 (जेड.आर.कामिली) निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 32/2015-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 220 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ॥, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 39/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 15 मार्च, 2016, सा.का.नि. अर्थ 306 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।